3/C

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग
कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा
उत्तराखण्ड परिमंडल, देहरादून–248001

पत्रांक:सी0सी0ए0/यू0के0/एडमिन/आर.टी.आई./01/04/2017–18/22604 दिनाक: 27.04.2018

सेवा में,

श्री सर्वेश पाण्डेय, एडवोकेट
चैम्बर न0 23, ब्लॉक–ए
जनपद न्यायालय इलाहाबाद।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना विषयक ।

आपका सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2018 जो कि सी0पी0आई0ओ0/डी.जी.एम., कार्यालय पी.जी.एम.टी.डी. देहरादून, पटेल नगर, देहरादून के पत्र संख्या GMTD/DMLC/RTI-417/2 दिनांक 19.04.2018 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 24.04.2018 को प्राप्त हुआ है के सम्बन्ध में सूच्य है कि :–

श्री मोतीराम पुत्र स्व0 साधोराम, निवासी मकान न0 671 पी/1, संजय विहार कॉलोनी, डाकरा कैन्ट, देहरादून, सेवानिवृत्त कर्मचारी बी.एस.एन.एल. से सम्बन्धित मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि यह कार्यालय बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर बी.एस.एन.एल. द्वारा भेजें गए पेंशन प्रपत्रो के आधार पर पेंशन प्राधिकृत करता है अतः आपके द्वारा बिन्दु 4 पर मांगी गयी सूचना सेवानिवृत्त कर्मचारी के पी.पी.ओ. संख्या उपलब्ध कराए जाने पर (ताकि पेंशनर की सही पहचान सुनिश्चित की जा सके) तथा उनकी सहमति मिलने पर ही दिया जाना सम्भव है।

बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 5 के सम्बन्ध में ना तो कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध है, ना ही इस कार्यालय से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में यदि आप प्रथम अपील करना चाहते हैं तो श्री आशीष जोशी, नियंत्रक संचार लेखा उत्तराखण्ड परिमण्डल, 56 सुभाष रोड, देहरादून को कर सकते हैं।

27/04/2018

(महेशानन्द)
संयुक्त नियंत्रक एवं सी0पी0आई0ओ0